न्यायालय : अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रींगस जिला सीकर

तारीख हुक्म	रेगुलर फौजदारी प्रकरण संख्या 214/2016 दीपककुमार बनाम बजरंगलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.02.2026	परिवादी अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त बजरंगलाल अनुपस्थित की हाजरी माफी का आवेदन जरिये अधिवक्ता पेश किया गया जो वाद सुनवाई स्वीकार किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता आवेदन अन्तर्गत धारा 91 सीआरपीसी/94 बीएनएसएस पेश किया गया। उक्त आवेदन का अप्रार्थी/परिवादी के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस करना जाहिर किया गया। बहस आवेदन अधिवक्ता उभयपक्षकार सुनी गई। इस आदेश द्वारा अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है। दौराने बहस प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा यह तर्क दिये गये कि प्रकरण के न्यायोचित निस्तारण हेतु परिवादी की दुकान की सेल टैक्स रिटर्न तथा इनकम टैक्स रिटर्न वर्ष 2012–13 से लेकर आज तक परिवादी की हैसियत को ताकीद किये जाने के लिये समस्त विवरण प्रकरण के न्यायोचित निस्तारण हेतु तलब किया जाना आवश्यक है। आवेदन प्रकरण के विचारण को विलम्बित किये जाने की नियत से नही है ना ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर परिवादी की दुकान के सेलटैक्स रिटर्न व इनकम टैक्स रिटर्न वर्ष 2012–13 से लेकर आज तक दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश फरमावे। इसके विपरीत अप्रार्थी/परिवादी अधिवक्ता की ओर से उक्त आवेदन का खण्डन करते हुये तर्क दिया गया है कि उक्त स्टेटमेंट प्रकरण से सुसंगत नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा हस्तगत आवेदन प्रकरण में देरीना कारित करने के आशय से पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त का आवेदन अस्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है। उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा सुसंगत विधि का अनुशीलन एवं परिशीलन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से हस्तगत आवेदन परिवादी से दुकान की सेलटैक्स रिटर्न व इनकम टैक्स रिटर्न वर्ष 2012–13 से लेकर आज तक को तलब करने हेतु पेश किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि परिवादी द्वारा कथित इतनी बडी राशि का लेन देन किये जाने की हैसियत बाबत् परिवादी की दुकान की सेल टैक्स रिटर्न तथा इनकम टैक्स रिटर्न वर्ष 2012–13 से लेकर आज	

मंजुला रोहिला
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रींगस, जिला–सीकर

तारीख हुक्म	रेगुलर फौजदारी प्रकरण संख्या 214/2016 दीपककुमार बनाम बजरंगलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तक पेश नहीं किया गया है जिसे परिवादी से तलब करवाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 138 एनआई एक्ट के तहत प्रसंज्ञान लिया गया है। धारा 118 व 139 एनआई एक्ट के तहत परिवादी के पक्ष में यह उपधारणा होती है कि यदि अभियुक्त द्वारा परिवादी को विवादित चैक दिया जाना स्वीकृत हो तो यह उपधारणा की जावेगी कि विवादित चैक किसी वैध दायित्व के उन्मोचन हेतु जारी किया गया है। उक्त उपधारणा के खण्डन का भार अभियुक्त पर होता है। हस्तगत प्रकरण वर्तमान में परिवादी साक्षी से जिरह के प्रक्रम पर है। अभियुक्त को परिवादी साक्षी से जिरह करने हेतु पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। पूर्व में अभियुक्त की ओर से धारा 91 सीआरपीसी के तहत ही आवेदन भी पेश किया गया था परन्तु उक्त आवेदन में उक्त दस्तावेजों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिससे यह प्रकट होता है कि अभियुक्त द्वारा प्रकरण के विचारण को बाधित करने के आशय से इस स्तर पर हस्तगत आवेदन पेश किया गया है। धारा 91 सीआरपीसी के तहत किसी भी दस्तावेज को तलब करने के लिये यह आवश्यक है कि दस्तावेज प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक व वांछनीय हो। प्रार्थना पत्र के माध्यम से वांछित दस्तावेज किसी भी प्रकार से प्रकरण से सुसंगत होना प्रकट नहीं होता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 91 सीआरपीसी/94 बीएनएसएस आधारहीन एवं सारहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। प्रकरण में पूर्व में परिवादी साक्षी से जिरह हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। अधिवक्ता अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा आगामी पेशी पर परिवादी साक्षी से जिरह नहीं करने की सूरत में उनका जिरह करने का अवसर स्वतः समाप्त समझा जावेगा। अधिवक्ता परिवादी को हिदायत दी जाती है कि वे आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से परिवादी साक्षी को साक्ष्य हेतु उपस्थित रखे। पत्रावली वास्ते परिवादी साक्षी से जिरह हेतु दिनांक 24/2/26 को पेश हो।

ममता चौहिला
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर, जिला–सीकर